भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3608
बुधवार, 24 जुलाई, 2019/2 श्रावण, 1941 (शक)

देश में रोजगार की स्थिति

3608. श्री अनिल देसाईः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में रोजगार की स्थिति क्या है;

(ख) कितने शिक्षित व्यक्ति अभी भी रोजगार की खोज में हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों के लिए कितनी नौकरियों का सृजन किया गया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणाम के अनुसार, देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) एवं बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 49.8%, 46.8% एवं 6% थी। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के शिक्षित व्यक्तियों (शैक्षणिक स्तर माध्यमिक एवं उससे अधिक) की बेरोजगारी दर 11.4% थी।

(ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

सृजित रोजगार			
योजनाएं/वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (लाख में)	4.08	3.87	5.87 (31-03-2019 तक)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव-दिवस (करोड़ में)	235.64	233.74	267.9 (मई, 2019 तक)
डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत नियोजित अभ्यर्थी (लाख में)	1.48	0.76	1.36 (मई, 2019 तक)
डीएवाई-एनयूएलएम के तहत नियोजन (लाख में)	1.52	1.15	1.63 (18-06-2019 तक)

स्रोतः संबंधित मंत्रालय

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 01.07.2019 तक, योजना में 1,52,035 प्रतिष्ठान तथा 1.21 करोड़ लाभार्थी शामिल कर लिए गए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक, योजना के तहत 18.26 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

******